लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4020
25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों का फिर से शुरू किया जाना

4020. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पावरलूम क्षेत्र, विशेषकर मालेगांव, महाराष्ट्र में पेश आ रही चुनौतियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस क्षेत्र पर कच्चे कपास और सूत के मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रभाव और सार्क देशों के रास्ते आने वाले चीन के वस्त्रों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने की व्यवहार्यता का आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार की पावरलूम क्षेत्र के बुनकरों की सहायता करने के लिए मालेगांव में बंद पड़ी 23 राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों को पुनः चालू करने और एक मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की योजना है;

(घ) क्या सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कपास और सूत को शामिल करने, बुनकरों के लिए एमएसएमई योजनाओं को सरल बनाने और सरकारी निविदाओं में पावरलूम कपड़े की खरीद को अनिवार्य बनाने जैसे उपायों पर विचार कर रही है; और

(ङ) मंदी से प्रभावित बुनकरों और श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या सरकार की सूक्ष्म-स्तर पावरलूम निर्यातकों को मुफ्त राशन या लक्षित प्रोत्साहन जैसे लाभ प्रदान करने की योजना है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ङ): सरकार ने महाराष्ट्र के मालेगांव सहित देश भर में पावरलूम के साथ-साथ संपूर्ण वस्त्र क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की हैं। प्रमुख योजनाओं/पहलों में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना, जिसका उद्देश्य एक आधुनिक, एकीकृत बड़े पैमाने पर, विश्व स्तरीय औद्योगिक इको सिस्टम बनाना है, जो निवेश आकर्षित करने और रोजगार को बढ़ावा देने में मदद करेगा; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मैन मेड फाइबर और अपैरल, तथा तकनीकी वस्त्रों पर फोकस करने वाली उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार एवं विकास, संवर्धन और बाजार विकास, कौशल तथा निर्यात संवर्धन पर फोकस करने वाला राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; मांग संचालित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ-योजना; बेंचमार्क टेक्सटाइल मशीनरी में पात्र निवेश के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी के माध्यम से तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एटीयूएफएस; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों आदि को एंड टू एंड सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) शामिल है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र में पावरलूम सहित वस्त्र मूल्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों को सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत और सस्टेनेबल वस्त्र नीति 2023-2028 को लागू कर रही है। महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एमएएचए_टीयूएफएस) का उद्देश्य मालेगांव सहित महाराष्ट्र में विद्युतकरघों को सुविधा प्रदान करना है, ताकि

निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पात्र इकाइयों में विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार और निर्यात को बढ़ाया जा सके।

डंपिंग और सस्ते आयात की समस्याओं के समाधान के लिए ट्रेड रेमेडी मैकेनिज्म उपलब्ध है और घरेलू उद्योग ऐसे आयातों से राहत पाने के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) में आवेदन दायर करने के लिए पात्र है। विस्तृत जांच के बाद, डीजीटीआर द्वारा प्रारंभिक/अंतिम निष्कर्ष जारी किए जाते हैं, जिसके आधार पर राजस्व विभाग अनंतिम/निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाता है।

मार्च, 2020 से कोविड-19 और केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण सभी 23 प्रचालनशील एनटीसी मिलों में उत्पादन रोक दिया गया था। जनवरी, 2021 से कुछ एनटीसी मिलों में सामान्य प्रचालन फिर से शुरू किया गया, जो कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता और अन्य वित्तीय बाधाओं के कारण निरंतर जारी नहीं रह सका।

पावरलूम बुनकरों को सहायता देने के लिए मालेगांव में मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार पावरलूम बुनकरों के लिए मृत्यु/विकलांगता के सापेक्ष समूह बीमा योजना भी लागू कर रही है। महाराष्ट्र राज्य में समूह बीमा योजना (जीआईएस) के अंतर्गत वर्ष 2003-2019 तक 3,148 मृत्यु दावों के लिए 15.69 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य में शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत पावरलूम श्रमिकों के 5,539 बच्चों को 48.65 लाख रुपये की छात्रवृत्ति के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए गए। दिनांक 1.4.2020 से समूह बीमा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ जोड़ दिया गया है।

****